

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी**

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, सणपा मानजी
प्रकरण सं.:-81/2018


क्रमांक:-लो.अदा./2018/1110

दिनांक:- 18-5-18

आदेश


प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सणपामानजी व भू.अ.नि. होड़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खरंटिया, नया खरंटिया व धोलाडेर तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् क्रमशः 2072-2075, 2070-2073 व 2072-2075 में खाता संख्या 27, 3 व 24 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खरंटिया	27	218,247	चूनाराम पुत्र उदाराम	चूनाराम उर्फ
2	धोलाडेर	3	6,67,68,69		अमराराम पुत्र
3	नया खरंटिया	24	94,171 / 119		उदाराम
					शेष बद्दुस्तर


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 18-5-18



- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
- प्रार्थी श्री चूनाराम उर्फ अमराराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी खरंटिया तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी